

फर्द अहकाम






लालाराम उर्फ लालचंद

बनाम

कज्जूराम वगै०

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० / 2023

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26.06.2023	<p>अधिवक्ता श्री रामसिंह द्वारा वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि० एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 24.07.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> 24/7/23</p>	
	24/7/23	<p>पत्रावली पेश करने अधिवक्ता वादी उपाय प्रतिवादीगण की मालीमें असाफ हो पत्रावली नार्ति स्तुपत्त माली दिनांक 24/7/23 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;"></p>	
	21/8/23	<p>पार्थी लालाराम मय अधिवक्ता उपस्थित होकर पार्थीना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई का पेश किए जाने से पत्रावली आज की वैसी में ली गई।</p> <p>पार्थी लालाराम द्वारा पार्थीना पत्र अन्वर्त धारा 151 CPC व विद्वो का पेश कर निषेध किया कि वारी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है तथा सभी पक्षकार आपसी सहमति से तकासमा करना लेंगे। अतः वाद को विद्वो किए जाने की अनुमति उदान किये की जावे।</p> <p>अतः वादी को वाद विद्वो पार्थीना पत्र के आधार पर वाद को विद्वो किए जाने की अनुमति उदान की जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली केसल सुमाट होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>(लालाराम)</p> <p></p> <p></p>

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर